

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये राज0 जयपुर
क्रमाक :- ई-18/एम/जोन-भरतपुर/2019/
दिनाक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमाक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनाक 30 10 2017 एव 09 12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. स	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेनावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	पे मैट्रिक्स लेवल
1	श्री शिवदयाल गुप्ता, वरिष्ठ सहायक, सवाईमाधोपुर।	23 09 1991	27 वर्ष	23 09 2018	एल 11
2	श्री दीपेन्द्र पाल, वरिष्ठ सहायक, करौली।	25 07 1990	27 वर्ष	25 07 2018	एल-11
3	श्री प्रेमचन्द्र जाटव, वरिष्ठ सहायक, करौली।	24 03 2000	18 वर्ष	24 03 2018	एल-9

नोट - क्रम संख्या 2 पर अंकित श्री दीपेन्द्र पाल, वरिष्ठ सहायक, करौली को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण एसीपी स्वीकृति तिथि 25 07 2017 के स्थान पर 25 07 2018 से स्वीकृत की जा रही है।

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये

राज0 जयपुर

दिनाक 29/04/19

क्रमाक - ई-18/एम/जोन- भरतपुर/2019/2999

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर/करौली।
- 2 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागनवास, सवाईमाधोपुर।
- 3 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीमहावीरजी, करौली।
- 4 संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 5 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 6 आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राज0 जयपुर